

तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अस0

बनाम अमरसिंह 810 एण्ड कुम्हार

कुम्हार भाठकी

निर्णय

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/23/2022

निर्णय दिनांक :- 15/3/2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भाठकी की आ0 ख0 नं0 540 कुल रकबा 0.2500 किस्म जमीन जैवमुठमरधार में से 0.01 रकबे पर श्री अमरसिंह 810 एण्ड कुम्हार पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सुडा/सिंह कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अस0 मसारी द्वारा दिनांक 22/2/2021 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक अस0 के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी अमरसिंह 810 एण्ड कुम्हार जाति कुम्हार निवासी भाठकी को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी अमरसिंह 810 एण्ड कुम्हार उपस्थित नहीं हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 540 रकबा 0.2500 में से 0.01 रकबे किस्म जैवमुठमरधार है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 22 paise का 50 गुणा 11/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अस0 भू0 अ0 निरीक्षक अस0 को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर
तहसीलदार
तहसील (कठूमर)